10.10.24 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी वकील उप.।
विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु अवसर दिया पत्रावली
तारीख 12.11.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

12.11.24 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी वकील उप।
विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु अवसर दिया पत्रावली
तारीख 4.12.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

04.12.2024 : पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व वाद संख्या 17/2023 अनवान भीमाराम बनाम मंगलाराम वगैरा के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 19.12.2023 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता बार एसोसियेशन की हड़ताल में होने से अदालत में उपस्थित नहीं रहे और इस बात की सूचना वादीगण को भी नहीं दे सके, इसलिए उस दिन वादीगण भी उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 19.12.2023 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।, इस प्रकार वादीगण का दावा मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें ।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature No
Digitally signed b
Ashiya
Date: 2025.06.02
Reason: SelfAtte

130/2024

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 19.12.2023 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
...ओ रिंगधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:36 IST
Reason: SelfAttested